

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सवाई माधोपुर

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक - प.1 (6) प्र.सु./ अनु-3/ 2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/साप्र/बी-1/2856/आरपीएससी 2013/2017-18 दिनांक 22.02.2018 समसंख्याक पत्र दिनांक 25.02.2018 एवं 28.02.2018 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की अनुपालना में राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन लेवल-8 में प्रवेशनल ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी) चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवाटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार विवरणांकित आशार्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन लेवल-8 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति चरित सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरन रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. इन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छुट (जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / ओबीसी / विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर के अपनी संतुष्टि कर ले की अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रशैक्षणिक योग्यता (Computre Related) के प्रमाण प्रपत्र की नियमानुसार जांच करने के उपरान्त कार्यग्रहण करवाये। यदि किसी प्रमाण पत्र में कोई शंका हो तो उसका सत्यापन आयोग कार्यालय से कराने उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाये।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। यदि विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। तथा अभ्यर्थियों से यह शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है। उनके त्रुटीपूर्ण, कूटरचित एवं जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
5. ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनके आवेदन पत्र आयोग को अग्रिम कार्यवाही हेतु लोटा दिये जावे ताकि पात्रता सामान्य वर्ग के रूप में आंकी जा सके। अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया होना चाहिए। महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर पारित किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो की विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लोटा दे।

(निरन्तर.....)

(2)

6. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधीसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 01.10.2013 के अनुसार धूर्मपान एवं गुटका सेवन नही करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।

7. नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न याचिकाओं में जारी आदेशों के अध्यक्षीन रहते हुये की गई है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.03.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	श्रेणी	चयन वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवेदन पत्र में अंकित स्थायी पता	पदस्थापन स्थान
1	1506 A	GE	GEN	अंकित शर्मा	प्रभाकर शर्मा	28.09.88	गोतम कॉलोनी, आकाशवाणी के पीछे, सवाई माधोपुर	राउमावि मैनपुरा सवाई माधोपुर
2	2101	GE	GENM	अभिषेक कुमार शर्मा	रामबाबू शर्मा	30.06.91	कर्मचारी कॉलोनी कॉलेज रोड गंगापुर सिटी	रामावि कमालपुर सवाई माधोपुर
3	2356	GE	GENM	जितेन्द्र कुमार जिन्दल	भागिरथ लाल जिन्दल	10.08.82	ग्र.पो. परिता तह. व जिला करोली	रामावि बिनेगा सवाई माधोपुर
4	3085	BC	OBCM	गोविन्द प्रसाद जायसवाल	सुभाष चंद जायसवाल	03.07.88	बन्दरिया के बालाजी के पीछे वार्ड 33 गंगापुर सिटी	रामावि अर्निया सवाई माधोपुर
5	3318	SB	OBCM	बुद्धिप्रकाश गुर्जर	रामचरण गुर्जर	15.01.94	वार्ड 08 गुर्जर मोहल्ला मलारना डूगर	राउमावि मकसूदनपुरा सवाई माधोपुर
6	3470	BC	OBCM	लेखराज माली	रघुवीर सैनी	27.06.95	ग्रा.पो. रायपुर तह. वजीरपुर सवाई माधापेर	रामावि कुंसाय सवाई माधोपुर
7	3863	BC	OBCM	राकेश मेहरा	चिरंजीलाल मेहरा	15.07.82	गणेश नगर बी सवाई माधोपुर	रामावि बिलोपा सवाई माधोपुर
8	3864	GE, WE	GEF	मनीषा अग्रवाल	श्यामलाल गर्ग	25.06.92	ईदगाह मोड गंगापुर सिटी	रामावि रेती सवाई माधोपुर
9	4334	ST	STM	मुन्नीराज मीना	भम्बल राम मीना	02.07.88	ग्रो. भवरकी पों. सुन्दरी बामनवास	राउमावि जीवली सवाई माधोपुर
10	4349	SC	SCM	केलाश चंद फुलवारिया	बाबूलाल वर्मा	10.07.79	रेगर मोहल्ला बौली	राउमावि बडागांव सरवर सवाई माधोपुर
11	4539	ST	STM	मेहश कुमार मीना	गिर्राज प्रसाद मीना	08.10.95	ग्रा. चदलाई पो. सुकार बामनवास	रामावि सुकार का बेडा सवाई माधोपुर
12	4614	ST	STM	सतीश कुमार मीना	शयोदान सिंह मीना	08.05.89	ग्रा.पो. मीना बडोदा वजीरपुर	राउमावि बडोली सवाई माधोपुर
13	4690	ST	STM	मुकेश कुमार मीना	हुनमान प्रसाद मीना	11.09.93	ग्रा.पो. गम्भीरा तह.मलारना डूगर	राउमावि तारणपुर सवाई माधोपुर
14	5062	GE, WE	GENF	मालती शर्मा	कजोडमल शर्मा	10.07.93	ग्रा. थडी पो. झनून बौली	राउमावि अजनोटी सवाई माधोपुर

15	5113	SC	SCM	शकर कोली	प्रमू कांठी	10.06.18	नर्सिंग कॉलेज भागपुर फिरो	राजभाई कंठार सावई भाडपुर
16	5131	SC	SCM	सुनील बेरवा	सीता राम बेरवा	15.06.90	शा.पो. उकरी सावई भाडपुर	राजभाई रावल सावई भाडपुर
17	5171	ST	STM	मनोज कुमार मीना	चिन्ती लाल मीना	17.03.90	शा. कामली पो. अजनादी सावई भाडपुर	राजभाई कुली सावई भाडपुर
18	5293	ST	STM	धारासिंह मीना	रामकेश मीना	01.07.90	शा. जनकपुर पो. खिलकीपुर सावई भाडपुर	राजभाई छारदा सावई भाडपुर
19	5341	SC	SCM	नरेश कुमार बेरवा	मधुर लाल बेरवा	06.01.96	शा. जाकाडा पो. राजाना सावई भाडपुर	राजभाई ईसरदा सावई भाडपुर
20	5510	GE, WE	GENF	कल्पना शर्मा	शिवप्रसाद शर्मा	26.10.90	महाराणा प्रताप कॉलेजी सावई भाडपुर	मीना दली अशवाल राजभाई आदर्श नगर अ सावई भाडपुर
21	5513	STR G	STM	बन्धुसिंह मीना	रामकुमार मीना	26.05.96	शा. रथोजीपुर (फिरोजी) पो. रथोपुर सावई भाडपुर	राजभाई महानन्दपुर सावई भाडपुर
22	5550	GE, WE	GENF	शिल्पी जैन	रोषा चंद जैन	03.12.87	गुलाब बाग सावई भाडपुर	राजभाई छटपुरा सावई भाडपुर
23	5632	GE, WE	GENF	प्रियका बंसल	शम्भुदयाल बंसल	27.03.90	हॉस्पिटल बोर्ड कॉलेजी सावई भाडपुर	राजभाई कुस्तला सावई भाडपुर
24	5637	GE, WE	GENF	सोनिया मंगल	सतनन्द कुमार गुप्ता	31.05.90	केशव नगर सावई भाडपुर	राजभाई सुरवाल सावई भाडपुर
25	5736	ST	STM	राजेश कुमार मीना	बाबूलाल मीना	01.07.78	शा.पो. गण्डाल बामनवास सावई भाडपुर	राजभाई सिरोड सावई भाडपुर
26	5794	BC, WE	OBCF	जस्वी सेनी	रामकिशोर सेनी	10.02.96	शा.पो. बडखेडा गढ की बौकी करेली	राजभाई सतनपुर सावई भाडपुर

नोट- क्रम संख्या 26 पर अंकित अर्थ्यों के दस्तावेज सत्यापन बकाया होने के कारण इन्हें कार्यग्रहण से पूर्व दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यालय में भिजवाये तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कराया जावे।

क्रमांक-विशिष्ट /मा./संस्था-1/फा-क0सहा0न0/2017-18/ 419-28
प्रतिनिधि नियुक्ति को सूचनाएं एवं आवश्‍यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(गुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-3)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, कॉमिक(फ-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
8. उपायनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संगम भरतपुर
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विधि जयपुर/जोधपुर
10. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित आशाधी
11. संबंधित पत्रावली

(सत्यन शेरवा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, सावई भाडपुर
दिनांक 09.03.2018

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक सावई भाडपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सवाई माधोपुर

कार्यालय आदेश

शासन उप साचिव प्रशासनिक सुधार (पुन-3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक - प 1 (6) प्रसू./ अनु-3/ 2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/साप/शै-1/2856/आरपीएससी 2013/2017-18 दिनांक 22.02.2018 समसंख्याक पत्र दिनांक 25.02.2018 एवं 28.02.2018 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय शिक्षा के पत्र क्रमांक 1999 के अनुसार माननीय राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन लेवल-8 में प्रवेशनाल ट्रेनी (परिरीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी) चयनोपसृत नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार विवरणांकित आशाशिक्षा को कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन लेवल-8 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिरीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर परस्थापित किया जाता है। परिरीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6)/एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14800/- (अक्षर रूपसे चौदह हजार छः सौ) अथवा पूर्व से संचालित होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अशदाशी पेशन योजनात्मगत होगी। संबंधित सस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति चरित सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम शिक्षिका अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/- रु. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. इन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य विस्ती छुट (जैसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / ओबीसी / विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर के अपनी सतुष्टि कर ले की अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रशैक्षणिक योग्यता (Computer Related) के प्रमाण प्रपत्र की नियमानुसार जांच करने के उपरान्त कार्यग्रहण करवाये। यदि किसी प्रमाण पत्र में कोई शक हो तो उसका सत्यापन आयोग कार्यालय से कराने उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाये।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सस्था प्रधान आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करवाये। यदि विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। तथा अभ्यर्थियों से यह शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनारूप एवं दस्तावेज सही है। उनके त्रुटीपूर्ण, कटुचित एवं जादली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकती एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
5. ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति की भिलेयर का नहीं है तथा उसके तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए यदि कोई अभ्यर्थी की भिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनके आवेदन पत्र आयोग को आग्रिम कार्यवाही हेतु तोटा दिये जावे ताकि पात्रता सामान्य वर्ग के रूप में आंकी जा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र भिता की आय के आधार पर जारी किया होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर पारित किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो की विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दे।

(निरस्त.....)

(2)

6. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधीसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 01.10.2013 के अनुसार धूर्मपान एवं गुटका सेवन नही करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।

7. नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न याचिकाओं में जारी आदेशों के अध्यक्षीन रहते हुये की गई है।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.03.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

क.सं.	मेरिट संख्या	श्रेणी	चयन वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवेदन पत्र में अंकित स्थायी पता	पदस्थापन स्थान
1	0	SB	-	हंसराज गुर्जर	गिराज प्रसाद गुर्जर	08.05.93	ग्रा. लाडपुरा पोस्ट बैराडा बामनवास	राउमावि गुर्जर बडोदा सवाई माधोपुर
2	0	SB	-	हरकेश गुर्जर	रामसिंह गुर्जर	08.08.89	ग्रा. देवली पो. गम्भीरा मलारना झूगर	रामावि गम्भीरा सवाई माधोपुर



(उत्तरा मेहरा)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, सवाई माधोपुर
दिनांक 08.03.2018

क्रमांक:-जिशिअ /मा/संस्था-1/फा-क0सहा0नि0/2017-18/ 429-40

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. सयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
8. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विधि जयपुर/जौधपुर
10. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित आशार्थी
11. रक्षित पत्रावली


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक सवाई माधोपुर